रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2009/ज्येष्ठ 8, 1931
No. 86] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2009/JYAISTHA 8, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

सं. एल-7/105(121)/2007-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम नोडल अभिकरण द्वारा 15-6-2009 को या इसके पश्चात् प्राप्त अल्पकालिक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन को लागू होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "द्विपक्षीय संव्यवहार" से मास के दौरान किसी समय अवधि के लिए ऊर्जा की नियत या परिवर्ती मात्रा के लिए व्यादेश के विनिर्दिष्ट बिन्दु से निकासी के विनिर्दिष्ट बिन्दु तक विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच प्रत्यक्षत: या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या अनाम बोली के माध्यम से पावर एक्सचेंज पर प्राप्त ऊर्जा के विनिमय के लिए संव्यवहार अभिप्रेत हैं।'

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) "विस्तृत प्रक्रिया" से विनियम 4 के अधीन जारी प्रक्रिया अभिप्रेत है।'

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘ (झ) “दीर्घ-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई है ।’

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) के पश्चात् खंड (झक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘ (झ-क) “मध्य-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए मध्य-कालिक पहुंच प्रदत्त की गई है ।’

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ठ) का लोप किया जाएगा ।

(6) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘ (ढक) “अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच” से एक समय पर एक मास तक की अवधि के लिए निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है ।’

(7) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के नए अंतःस्थापित उपखंड (ढक) के पश्चात्, खंड (ढख) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(ढख) “अल्प-कालिक ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर ली है या प्राप्त करने के लिए आशयित है ।’

3. “निर्बाध पहुंच” और “निर्बाध पहुंच ग्राहक” पदों का अंतःस्थापन

“निर्बाध पहुंच” तथा “निर्बाध पहुंच ग्राहक” पद, जहां-जहां मूल विनियम में आते हैं, के स्थान पर क्रमशः “अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच” तथा “अल्प-कालिक ग्राहक” पद रखे जाएंगे ।

4. **विनियम 3 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"<u>विस्तार</u>

"3 (1) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अल्प-कालिक ग्राहक के बजाय दीर्घ-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक को पूर्विकता दी जाएगी ।

(2) अल्प-कालिक ग्राहक निम्नलिखित के आधार पर दीर्घ-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक द्वारा उपयोग के पश्चात् अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर उपलब्ध अधिशेष क्षमता पर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए पात्र होंगे -

(क) अंतनिर्हित डिजाइन मार्जिन,

(ख) विद्युत प्रवाह में फेरफार के कारण उपलब्ध मार्जिन ; और

(ग) भावी भार वृद्धि या उत्पादन वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए सृजित इन-बिल्ट अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।"

5. **विनियम 4 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" <u>विस्तृत प्रक्रिया</u>

4. इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, जब तक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र उसके द्वारा प्रचालित करने तक तथा तत्पश्चात् सरकारी कंपनी या अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकरण या निगम, आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् निर्बाध पहुंच को प्रचालन करने के लिए तथा इन विनियमों के अधीन सम्मिलित न किए गए किसी अवशिष्ट मामले के लिए विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगी ।"

6. **विनियम 8 का संशोधन** - (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3)(क) सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी अभिप्राप्त करने के लिए, आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समक्ष किया जाएगा, जो आवेदन की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे के भीतर ई-मेल या फैक्स, या संचार की प्रायिक रूप से मान्य पद्धति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा :

परंतु जहां आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाता है तो आवेदन देने के समय पर अभिस्वीकृति दी जाएगी ।

(ख) यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र निम्नलिखित को सत्यापित करेगा, अर्थात् :-

(i) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय-ब्लॉक-वार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना ; तथा

(ii) राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता ।

(ग) जहां आवश्यक अवसंरचना तथा राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धि सुस्थापित हो जाती है वहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्यदिवस के भीतर संचार की कोई मान्य प्रायिक पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा, यथास्थिति, अपनी सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में बताएगा :

परंतु यह कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया गया हो, तब राज्य भार प्रेषण केंद्र आवेदन की प्राप्ति के सात कार्यदिवस के भीतर आवेदक को संचार की कोई मान्य प्रायिक पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा ऐसी सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में बताएगा ।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (3क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (3क) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह पाता है कि, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी के लिए आवेदन किसी भी प्रकार से अधूरा है या त्रुटियुक्त है तो वह आवेदन

की प्राप्ति के दो कार्यदिवस के भीतर संचार की कोई अन्य प्रायिक मान्य पद्धति के अलावा, ई-मेल या फैक्स के माध्यम से आवेदन को कमियों या त्रुटि के बारे में बताएगा :

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने आवेदन में किसी कमी या त्रुटि के बारे में बता दिया हो, आवेदन प्राप्त करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को यथास्थिति, कमियों तथा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् आवेदन सम्यक् रूप से प्राप्त होता है।"

(3) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (4) यदि आवेदन ठीक पाया गया हो किन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य नेटवर्क में आवश्यक अवसंरचना या अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता न होने के आधार पर, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी देने से इंकार कर देता है तो ऐसी इंकारी की सूचना देने से इंकार करने के कारणों के साथ खंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, यथास्थिति, तीन कार्य दिवस या सात कार्यदिवस के भीतर संचार की किसी अन्य प्रायिक रूप से मान्य पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा आवेदक को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा :

परंतु यह कि यदि जहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, यथालागू तीन कार्य दिवस या सात कार्यदिवस की विनिर्दिष्ट की अवधि के भीतर, यथास्थिति, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिन के भीतर आवेदक में किसी कमी या त्रुटि या इंकार या सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी के बारे में संसूचित नहीं किया हो तो, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी प्रदत्त समझी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त की गई समझी गई है वहां आवेदक, विनियम 9 के खंड (1) के अधीन आवेदन करते समय निम्नलिखित घोषणा करने वाला एक शपथपत्र, (विस्तृत प्रक्रिया में दिए गए प्ररूप में) जो नोटरीकृत होगा, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा,-

(क) कि राज्य भार प्रेषण केंद्र, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, आवेदन में पाई गई किसी कमी या त्रुटि या उसके इंकार करने के कारण या सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी को बताने में असफल हो गया है ;

(ख) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय-ब्लॉक-वार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना विद्यमान है तथा शपथपत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करेगा —

(i) कमी को दूर करने या त्रुटियों को सुधारने, यदि संसूचित किया गया हो, के पश्चात्, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी चाहने के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र को किए गए आवेदन की पूर्ण प्रति ; और

(ii) राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, की प्रति, या राज्य भार प्रेषण केंद्र को आवेदन भेजने का कोई अन्य साक्ष्य ।"

7. **विनियम 13 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**आकस्मिकता में संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए प्रक्रिया**

13. आकस्मिकता की दशा में, पूर्ववर्ती दिन के 1500 घंटे के कट-आफ समय के पश्चात् भी अल्प-कालिक आकस्मिकता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्रेता या उसकी ओर से, व्यापारी ऊर्जा के स्रोत का पता लगाएगा और पावर एक्सचेंज पता लगाने के लिए अपने प्लेटफार्म का प्रस्ताव कर सकेगा तथा वे अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए नोडल अभिकरण को आवेदन करेंगे और इस दशा में, नोडल अभिकरण विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र तथा यथासाध्य सीमा तक अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा ।"

8. **विनियम 14 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची का पुनरीक्षण

14. (1) अग्रिम में नोडल अभिकरण द्वारा स्वीकृत या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुसूचियों को रद्द किया जा सकेगा या कि अल्प-कालिक ग्राहक द्वारा नोडल अभिकरण के किए गए इस आशय के आवेदन को पुनरीक्षित करेगा :

परंतु यह कि अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुसूचियों के ऐसे रद्दकरण या पुनरीक्षण करने तक के दो दिन की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रभावी नहीं होगा :

परंतु यह और कि उस दिन जिसको अनुसूची के रद्दकरण या पुनरीक्षण करने तक की सूचना की तामील नोडल अभिकरण को की जाती है तथा उस दिन जिससे ऐसा रद्दकरण या पुनरीक्षण कार्यान्वित किया जाता है, को दो दिन की अवधि की संगणना के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच को रद्द या उसका पुनरीक्षण चाहने वाला व्यक्ति नोडल अभिकरण द्वारा मूलतः अनुमोदित अनुसूची के अनुसार उस अवधि, जिसके लिए, यथास्थिति, अनुसूची के रद्दकरण या उसका पुनरीक्षण चाहा गया है, के पहले दो दिन के लिए पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा तथा तत्पश्चात् ऐसे रद्दकरण या पुनरीक्षण की अवधि के दौरान नोडल अभिकरण द्वारा तैयार पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार संदाय करेगा ।

(3) रद्दकरण की दशा में, विनियम 17 के अधीन विनिर्दिष्ट, प्रचालन प्रभार दो दिन के लिए या दिन में रद्दकरण की अवधि जो भी कम हो, के लिए संदेय होंगे ।

टिप्पण : इस विनियम के उपबंध उन अल्प-कालिक ग्राहकों को भी लागू होंगे जिन्हें 15.6.2009 के पूर्व अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त की गई हो ।"

9. **विनियम 15 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र किसी संव्यवहार को रद्द करके या पुनः अनुसूचीकरण करके किसी भी पारेषण करीडोर पर ऊर्जा प्रवाह में कटौती कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे किसी

संव्यवहार के रद्दकरण या कटौती से कारीडोर पर पारेषण निरोध कम होने की संभावना हो या ग्रिड में सुधार की संभावना हो :

परंतु यह कि ग्रिड संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संव्यवहार को रद्द करने या उसमें कटौती करते समय, अल्प-कालिक, मध्य-कालिक, तथा दीर्घ-कालिक संव्यवहारों के बीच सबसे पहले अल्प-कालिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी उसके बाद मध्य-कालिक में तथा तत्पश्चात् दीर्घ-कालिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी :

परंतु यह और कि किसी अल्प-कालिक संव्यवहार को रद्द करने या कटौती करते समय सबसे पहले द्विपक्षीय संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी तथा उसके पश्चात् सामूहिक संव्यवहारों को रद्द या उनमें कटौती की जाएगी।"

10. **विनियम 16 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**पारेषण प्रभार**

16.(1) द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में, अंतःक्षेपण के स्थान या स्थानों पर पारेषण के लिए अनुमोदित ऊर्जा के लिए अल्प-कालिक ग्राहक के लिए नीचे विनिर्दिष्ट दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे :

	संव्यवहार का प्रकार	पारेषण प्रभार (कुल) (रु. मेगावाट घंटों में)
(क)	द्विपक्षीय, अंतर-राज्यिक	80
(ख)	द्विपक्षीय, समीपवर्ती क्षेत्रों के बीच	160
(ग)	द्विपक्षीय, एक या उससे अधिक मध्यवर्ती क्षेत्रों के माध्यम से चक्रण	240

(2) सामूहिक संव्यवहार की दशा में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान पर निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रूप् से पारेषण हेतु अनुमोदित ऊर्जा के लिए 100 मेगावाट की दर पर पारेषण प्रभार संदेय होंगे ।

(3) अंतःराज्यिक इकाईयां खंड (1) या (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारें के अतिरिक्त राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए, अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण प्रभारों का अतिरिक्त रूप से संदाय करेंगे :

परंतु यह कि यदि राज्य आयोग ने पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए हैं तो अपने-अपने राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषित ऊर्जा हेतु प्रभार 80 मेगावाट घंटे की दर पर संदेय होंगे :

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए राज्य आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों का नियतन किया जाना निर्बाध पहुंच इंकार करने का आधार नहीं माना जाएगा :

परंतु यह और कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभार के बारे में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को बताया जाएगा जो कि इन दरों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे :

परंतु यह भी कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा ।"

11. **विनियम 20 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (6) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों से भिन्न, कोई भी प्रभार, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होंगे जिसे इन विनियमों के अधीन अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच अनुदत्त की हो ।"

12. **विनियम 25 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

2040 GI/09-2

"पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण

25. (1) निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार सामूहिक संव्यवहार की दशा में, राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभारों के सिवाय नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे ।

(2) राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए नोडल अभिकरण द्वारा एकत्रित पारेषण प्रभारों का संवितरण केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को ऐसे पारेषण प्रभारों का 25% संवितरण करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से प्रत्यक्षतः किया जाएगा :-

(क) अंतःप्रादेशिक द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : संबंधित क्षेत्र को पारेषण प्रभारों का 75%

(ख) समीपवर्ती प्रदेशों के बीच द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक प्रदेश के लिए पारेषण प्रभारों का 37.5% ; और

(ग) एक या अधिक मध्यस्थ प्रदेशों के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में : प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक आयात और निर्यात के लिए पारेषण प्रभारों का 25% तथा सभी मध्यस्थ प्रदेशों के बीच समान रूप से आबंटित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों का शेष 25% ।

(3) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या निकासी के प्रत्येक स्थान के लिए सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संगृहीत पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति से नोडल अभिकरण द्वारा संवितरित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता : 25%

(ख) यथास्थिति, अंतःक्षेपण या प्राप्त करने के स्थान के लिए क्षेत्र के दीर्घ-कालिक ग्राहक : 75%

(4) पारेषण प्रभारों का संवितरण दीर्घ-कालिक ग्राहकों को उनके द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों के अनुपात में किया जाएगा ।

(5) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण उपयोगिता को संवितरित किया जाएगा ।

(6) यदि अल्प-कालिक ग्राहक अंतःराज्यिक इकाई है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किए गए प्रचालन प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।"

13. **नए विनियम 25क का अंतस्थापन** : मूल विनियम के विनियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 25क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रदान न की जाने वाली अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच

25क. जब आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र ऐसी इकाईयों या ऐसी इकाईयों के सहयुक्तों को अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त नहीं करेगा जो लगातार तथा जानबूझकर अनुसूचित विनियम प्रभार, पारेषण प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, संकुचन प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभार, जिसमें एकीकृत भार प्रेषण या संचार स्कीम के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं, के संदाय में व्यतिक्रम करते हैं ।"

14. **विनियम 26 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रतितोष तंत्र

26. इन विनियमों के अधीन उद्भूत सभी विवादों का विनिश्चय आयोग द्वारा व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा ।"

15. **विनियम 27 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 27 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"जानकारी प्रणाली - राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र"

19. **नए विनियम 27क का अंतःस्थापन** : मूल विनियम के विनियम 27 के पश्चात्, विनियम 27क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"जानकारी प्रणाली - राज्य भार प्रेषण केंद्र

27क. प्रत्येक भार प्रेषण केंद्र, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर, अपनी वेबसाइट को विकसित करेगा तथा "अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच संबंधी जानकारी" नामक पृथक् वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी डालेगा :

(क) उन संव्यवहारों की सूची जिसके लिए सहमति प्रदत्त की गई है तथा उन इकाईयों की सूची जिन्हें, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी निकासी उस मास, जिसमें ऐसी सहमति या अनापत्ति या पूर्व स्थायी निकासी प्रदत्त की गई है, की समाप्ति तक प्रदत्त की गई हो, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :

(i) ग्राहक का नाम ;

(ii) यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या स्थायी निकासी की अवधि (आरंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख) ;

(iii) अंतःक्षेपण तथा निकासी के स्थान पर ; तथा

(iv) स्वीकृति अनुसूची (मेगावाट) ।

टिप्पण

प्रास्थिति रिपोर्ट को प्रतिदिन अद्यतन किया जाएगा ;

(ख) ठीक पूर्ववर्ती 52 सप्ताहों के लिए राज्य नेटवर्क हेतु औसत पारेषण हानियां ;

(ग) राज्य नेटवर्क के लिए लागू पारेषण प्रभार तथा पारेषण हानियां ;

(घ) उन आवेदनों की सूची, जहां, यथास्थिति, सहमति या "अनापत्ति" या स्थायी निकासी अनुदत्त न की गई थी, इंकार के कारण, जिन्हें आवेदन में दी गई अनुसूचीकरण अवधि के पश्चात् एक मास तक प्रदर्शित किया जाना है ; तथा

(ङ) विनिश्चय के लिए लंबित आवेदनों की सूची ।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]